उच्च न्यायालय के साऊथ ब्लॉक में लगी लम्बी लाइन

मतदाता सूची में अपना नाम ढूंढते अधिवक्ता

मताधिकार का प्रयोग करते अधिवक्ता

पोलिंग बूथ के बाहर बैठे अधिकारी

एसबीसी चुनाव प्रत्याशियों का भाग्य मतपेटियों में हुआ कैद, प्रदेशभर में 250 से अधिक मतदान केन्द्र बनाये गये थे, जबलपुर की दोनों न्यायालयों को मिलकर लगभग 57 प्रतिशत के आसपास वोटिंग हुई

भीषण गर्मी और छूटपुट विवाद के बीच वकीलों ने जोश और उत्साह के साथ किया मतदान

जबलपुर, नवभारत। मप्र स्टेट बार में मंगलवार को हुए चुनावी संग्राम में प्रदेश भर के अधिवक्ताओं ने पूरे जोश और उत्साह के साथ मतदान किया। प्रदेशभर में 250 से अधिक मतदान केन्द्रों में देर शाम तक मतदान का आंकड़ा 65 फीसदी रहा, जबकि कुल मतदाताओं की संख्या 87 हजार के करीब थी। वही जबलपुर की दोनों न्यायालयों को मिलकर लगभग 57 प्रतिशत के आसपास वोटिंग हुई। जहां कुल 9819 अधिवक्ता वोटर्स में से जिला न्यायालय में लगभग 2500 के आसपास अधिवक्ताओं ने अपने मताधिकार का प्रयोग किया वही उच्च न्यायालय में लगभग 2967 अधिवक्ताओं ने वोट डाला। जिसके बाद 112 प्रत्याशियों जिसमें 98 पुरुष व 24 महिला प्रत्याशियों भाग्य मतपेटियों में कैद हो गया। इसके बाद मतपेटियों को पूरी सुरक्षा के साथ स्ट्रांग रूम में चुनाव अधिकारियों की मौजूदगी में जमा कराया गया।

प्रात: 10 बजे से प्रारंभ हुआ मतदान

जानकारी अनुसार प्रदेश में वकीलों की सबसे बड़ी संस्था मप्र राज्य अधिवक्ता परिषद के चुनाव को लेकर प्रत्याशियों ने पिछले कई महीनों से प्रचार-प्रसार शुरू कर दिया था। जिसके बाद संपन्न हुई नामांकन प्रक्रिया के बाद 122 प्रत्याशी मैदान में थे, जो कि 23 सदस्यों का चयन करेंगे। वहीं दो महिला सदस्यों को मनोनीत किया जाना है। मंगलवार प्रात: 10 बजे से प्रारंभ हुआ मतदान शाम पांच बजे तक चला और जिसमें अधिवक्ताओं ने पूरे उत्साह के साथ मतदान किया, जिस कारण शाम पांच बजे के बाद भी सर्किल के अंदर कतार में लगे वकीलों को मतदान करने दिया गया।

फैक्ट फाइल

- 9819 वैलिड अधिवक्ता वोटर्स जबलपुर में
- 2500 वोट डाले गए जिला न्यायालय में
- 2967 वोट डाले गए उच्च न्यायालय में
- लगभग 57 प्रतिशत रही वोटिंग

पूर्व अध्यक्ष ने दिया धरना

मंगलवार सुबह से ही धन्य कुमार जैन उच्च न्यायालय के पास अंबेडकर चौक पर धरने पर बैठ गए थे उन्होंने बार काउंसिल आफ इंडिया के अध्यक्ष पर खुद दो पदों का लाभ उठाने का आरोप लगाया इसके साथ ही उन्होंने अधिवक्ताओं की हड़ताल रोके जाने को भी अधिवक्ताओं की स्वतंत्रता और अभिव्यक्ति का दामन बताया था ज्ञात हो कि हाई कोर्ट बार काउंसिल के पदाधिकारी होने के आधार पर धन्य कुमार जैन सहित कई पदाधिकारी के नामांकन निरस्त कर दिए गए थे इस बात को लेकर सुप्रीम कोर्ट तक मामला पहुंचा था जहां धूलिया कमेटी को लेकर कैसे टिप्पणी पर नाराजी जताते हुए सुप्रीम कोर्ट ने जवाब तलब भी किया था।

समर्थकों के बीच हुआ विवाद

सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार शाम करीबन 5 बजे मतदान समाप्ति के आसपास माहौल अचानक बिगड़ गया। जानकारी के अनुसार एक अधिवक्ता पक्ष के समर्थक और दूसरे पक्ष के प्रत्याशी के समर्थकों के बीच चुनावी बात को लेकर वाद विवाद शुरू हो गया पहले तो यह बात कहासुनी तक सीमित थी जिसके बाद मामला बढ़ते बढ़ते हाथापाई तक पहुंच गया। हालांकि इस पूरी घटनाक्रम की फोटो और वीडियो सार्वजनिक रूप से सामने नहीं आई है।

सुरक्षा की चाक-चौबंद व्यवस्था

उच्च न्यायालय के साउथ ब्लॉक व जिला न्यायालय के पार्किंग स्थल पर बनाये गये मतदान केंद्र पर सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किये गये थे। पुलिस कर्मियों की तैनाती के साथ ही गर्मी के मौसम को देखते हुए स्वास्थ्य विभाग की टीम को भी तैनात किया गया था, लेकिन उसकी कहीं नौबत नहीं आई, पूरा मतदान लगभग शांतिपूर्ण तरीके से संपन्न हुआ।

16 जून को होगी काउंटिंग

मालूम हो कि मप्र स्टेट बार काउंसिल के चुनाव अब पूरी तरह से संपन्न हो चुके है पूरे प्रदेश में बनाए गए मतदान केदो पर अधिवक्ताओं ने मतदान किया। अब सभी की नजर 16 जून से शुरू होने वाली मतगणना पर टिकी हुई है जिसके बाद नहीं कार्यकारिणी का गठन किया जाएगा।

आखिरी समय तक झोंकी ताकत

प्रत्याशियों के साथ उनके समर्थक आखिरी समय तक पूरी ताकत झोंक रहे थे मतदान केंद्रों के बाहर अपने अपने प्रत्याशियों के पम्पलेट व पुष्प लेकर अधिवक्ताओं से उनके पक्ष में मतदान करने की अपील करते रहे। वही पूर्व सूचना पर ही मतदाताओं को जानकारी दे दी गई थी कि उन्हें अपना परिचय पत्र लाना होगा। यदि वह किसी कारण वश परिचय पत्र नहीं ला पाये है तो संघ अध्यक्ष और सचिव से पहचान पत्र लाना होगा। जिसके बाद ही उन्हें मतदान करने दिया गया, हालांकि जबलपुर में सभी अधिवक्तागण अपने परिचय पत्र के साथ ही मतदान करने पहुंचे थे।

इनका कहना है

स्टेट बार के चुनाव संपन्न हो चुके हैं। उच्च न्यायालय में अधिवक्ताओं के लिए दो से तीन और लाइन लगाने का प्रबंध किया जाना चाहिए था।
प्रशांत मिश्र
अधिवक्ता और उम्मीदवार

गर्मी के कारण वोटिंग प्रतिशत कुछ खास नहीं रहा। हालांकि चुनाव अच्छे से संपन्न हो गए लेकिन वोटिंग प्रतिशत और बढ़ सकता था।
शैलेंद्र वर्मा
अधिवक्ता और उम्मीदवार

पूरे प्रदेश में शांति पूर्ण तरीके से मतदान संपन्न हुआ है, परफेक्ट आंकड़ा आना शेष है, लेकिन सीनियर से लेकर जूनियर अधिवक्ताओं ने पूरे उत्साह के साथ मतदान किया। जिससे मतदान का आकड़ा 65 फीसदी होने का अनुमान है। जबलपुर में लगभग 57 प्रतिशत मतदान हुआ।
एसके पालो, सेवानिवृत्त जस्टिस व निर्वाचन अधिकारी

जब साईकिल से उच्च न्यायालय पहुंचे जस्टिस बंसल

जबलपुर, नवभारत। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की फ्यूल बचाने की अपील का असर अब मध्यप्रदेश में भी दिखाई देने लगा है। मंगलवार को मध्यप्रदेश उच्च न्यायालय के जस्टिस डीडी बंसल लग्जरी कार छोड़ साइकिल से उच्च न्यायालय पहुंचे। मंगलवार को ही उनका वीडियो सामने आने के बाद लोगों के बीच इसकी चर्चा शुरू हो गई। जानकारी के अनुसार जस्टिस डीडी बंसल करीब 3 किलोमीटर तक साइकिल चलाकर सिविल लाइंस स्थित निवास से उच्च न्यायालय पहुंचे। इस दौरान रास्तेभर लोगों की नजरें उन पर टिकी रहीं। उच्च न्यायालय परिसर पहुंचने पर भी कर्मचारियों और आम लोगों ने उन्हें उत्सुकता से देखा।

ईंधन की बचत होनी चाहिए

मीडिया से बातचीत में जस्टिस डीडी बंसल ने कहा कि यह सोच गलत है कि हाईकोर्ट के जज साइकिल से नहीं जा सकते। उन्होंने कहा कि जहां तक संभव हो, सभी लोगों को साइकिल चलाकर पेट्रोल-डीजल की बचत करनी चाहिए। उन्होंने इसे पर्यावरण और देशहित से जुड़ा विषय बताया। जस्टिस बंसल ने बताया कि वे मध्यप्रदेश हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस संजीव सचदेवा से प्रेरित होकर साइकिल चला रहे हैं। इस दौरान हाईकोर्ट के कुछ कर्मचारियों ने भी बैग और टिफिन लेकर साइकिल से आने-जाने की पहल की।

SBI भारतीय स्टेट बैंक | भारतीय स्टेट बैंक धनपुरी, जिला शहडोल, म.प्र. 484110 धनपुरी शाखा कोड क्रं.- (04617),

SARFAESI Act 2002 की धारा 13(4) के तहत सपति पर कब्जे ले संबंध में नोटिस का प्रकाशन
कब्जा सूचना (अचल संपत्ति के लिए)
सुरक्षा हित (प्रवर्तन) नियम, 2002 के [नियम 8(1)] के तहत

वित्तीय आस्तियों के प्रतिभूतिकरण एवं पुनर्निर्माण एवं प्रतिभूति हित प्रवर्तन अधिनियम, 2002 (2002 का 54) के अंतर्गत तथा प्रतिभूति हित (प्रवर्तन) नियम, 2002 की धारा 13(2) के साथ नियम 9 के अंतर्गत प्रदत शक्तियों का प्रयोग करते हुए, प्रत्येक खाते के समक्ष उल्लिखित तिथियों पर और नीचे दिये गए विवरण में, एक माग नोटिस जारी किया गया था, जिसमे उनसे उक्त नोटिस की प्राप्ति तिथि से 60 दिनों के भीतर राशि का भुगतान करने का अनुरोध किया गया था। ऋणकर्ता द्वारा राशि का का भुगतान न कर पाने के कारण, ऋणकर्ता और आम जनता को सूचित किया जाता है कि उक्त अधिनियम कि धारा 1.3(4) और नियम 9 के तहत प्रदत शक्तियों का प्रयोग करते हुए, अधोहस्ताक्षरी ने नीचे वर्णित संपत्ति पर प्रत्येक खाते के सामने उल्लिखित तिथियों से कब्जा कर लिया है। ऋण लेने वाले व्यक्ति और आम जनता को यह चेतावनी दी जाती है कि वह इस संपत्ति से संबंधित कोई भी लेन-देन न करें और संपत्ति से सबंधित किसी भी प्रकार का लेन-देन भारतीय स्टेट बैंक के प्रभार और उस पर ब्याज के अधीन होगा।

खाताधारक का नाम और पता	संपत्ति के मालिक/साझेदार/गारेटर/स्वामी का नाम	गिरवी बंधक की गयी संपत्ति का विवरण	डिमांड नोटिस की तारीख	कब्जे की तिथि	बकाया राशि
मेसर्स जय भारत फ्यूल स्टेशन पता रेल्वे क्रॉसिंग के पास, ग्राम. अमलई, पोस्ट-अमलई, ग्राम पंचायत बकहो, तहसील. बुढ़ार, जिला-शहडोल, मध्य प्रदेश	श्री शोभा राम पटेल पिता श्री राज मनी पटेल	औध्योगिक परिवर्तित भूमि खसरा क्र. 356/1/क (नवीन खसरा क्र. 356/1/4), भूमि का विकेन्द्रीकरण क्षेत्रफल 0.364 हेक्टेयर पता: ग्राम-अमलई, पोस्ट- अमलई, ग्राम पंचायत-बकहो, तहसील-बुढ़ार, जिला- शहडोल, मध्य प्रदेश। सीमाएँ :- उत्तर में - आमरा डांडी रास्ता, दक्षिण में - रास्ता एवं रेल्वे की भूमि पूर्व में - विक्रेता की भूमि, पश्चिम में - भूमि श्री गोविंद सिंह	17/12/2025	07/05/2026	Rs.2956518.00 (उनतीस लाख क्षप्पन हजार पाँच सौ अठारह रुपये मात्र) + ब्याज व अन्य अतिरिक्त खर्च

पारा 42 डिग्री : आग की भट्टी जैसा तपा शहर

प्रचण्ड गर्मी ने किया बेहाल
सूर्यदेव उगलते रहे आग

जबलपुर। मंगलवार को प्रचण्ड गर्मी ने अपना असर दिखाया। पारा 42 डिग्री पर पहुंच गया। दिनभर सूर्यदेव के तेवर उग्र रहे और वे दिनभर आग उगलते रहे। मार्तण्ड ने शहर के साथ धरती को आग की भट्टी की तरह तपाया। कूलर, पंखे गर्मी के सामने फेल होते दिखे। दिन में जरूरी काम से ही लोग बाहर निकले वे भी आंखों पर चश्मा, चेहरे, सिर में कपड़ा ढाके नजर आए। भीषण गर्मी और चिपचिपाती उमस ने लोगों के पसीने छुड़ा दिए। वहीं 25 मई से नौ तपा शुरू हो रहा है। इस दौरान गर्मी का असर और बढ़ सकता है।

मौसम विभाग की माने तो उत्तरी पाकिस्तान और संलग्न क्षेत्रों के ऊपर माध्य समुद्र तल से 3.1 किमी की ऊंचाई पर एक पश्चिमी विक्षोभ चक्रवातीय परिसंचरण के रूप में सक्रिय है। एक टूफ अब दक्षिण-पश्चिम मध्य प्रदेश के ऊपर स्थित चक्रवातीय परिसंचरण से लेकर पूर्वी मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड और गांगयीय पश्चिम बंगाल होते हुए मणिपुर तक माध्य समुद्र तल से 0.9 किमी की ऊंचाई पर विस्तृत है। इसके अलावा एक अद्यतन पश्चिमी विक्षोभ के 15 मई, 2026 से उत्तर-पश्चिम भारत को प्रभावित करने की संभावना है। उत्तर-मध्य उत्तर प्रदेश और संलग्न क्षेत्रों के ऊपर माध्य समुद्र तल से 1.5 किमी की ऊंचाई पर एक चक्रवातीय परिसंचरण स्थित है।

ऐसा रहा तापमान

मंगलवार को अधिकतम तापमान 42 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया जो सामान्य से 1 डिग्री अधिक रहा। न्यूनतम तापमान 25 .2 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया जो सामान्य से 2 डिग्री कम रहा। सुबह के वक्त आद्रता 39 और शाम को 19 प्रतिशत दर्ज की गई। उत्तर-पश्चिम हवाएं 4 से 5 किमी की रफ्तार से चली।

हमसफर एक्सप्रेस एक-एक ट्रिप निरस्त

जबलपुर, नवभारत। दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे द्वारा बिलासपुर मंडल के अंतर्गत बिलासपुर- चाँपा जंक्शन रेलखण्ड पर थर्ड एवं फोर्थ लाइन से सबन्धित सयुंक्त अधोसरंचनात्मक निर्माण कार्यों हेतु प्री-नॉनइंटरलॉकिंग, नॉनइंटरलॉकिंग पोस्ट नॉनइंटरलॉकिंग कार्य करने के लिए अधिसूचित किया गया है। जिसके चलते पश्चिम मध्य रेल से प्रारम्भ टर्मिनेट होने वाली रानी कमलापति-सांतरागाछी जंक्शन-रानी कमलापति एवं सांतरागाछी जंक्शन-जबलपुर-सांतरागाछी जंक्शन हमसफर ट्रेनों को 01-01 ट्रिप निरस्त रहेगी। गाड़ी संख्या 22169 रानी कमलापति-सांतरागाछी जंक्शन हमसफर एक्सप्रेस ट्रेन अपने प्रारम्भिक स्टेशन रानी कमलापति से 10 जून को और गाड़ी संख्या 22170 सांतरागाछी जंक्शन-रानी कमलापति हमसफर एक्सप्रेस ट्रेन अपने प्रारम्भिक स्टेशन सांतरागाछी जंक्शन से 11 जून को निरस्त रहेगी। इसके साथ ही गाड़ी संख्या 20828 सांतरागाछी जंक्शन-जबलपुर हमसफर ट्रेन अपने प्रारम्भिक स्टेशन सांतरागाछी जंक्शन से 10 जून को निरस्त रहेगी।

स्वत्वाधिकारी रामगोपाल इन्वेस्टमेंट प्राईवेट लिमिटेड हेतु लेसी एंगेज मीडिया प्रा.लि. के लिए आशीष श्रोती द्वारा नेपियर टाऊन बस स्टैण्ड जबलपुर से प्रकाशित एवं नेपियर टाऊन बस स्टैण्ड जबलपुर से मुद्रित. स्थानीय संपादक अविनाश दीक्षित*, *समाचार चयन के लिए पी.आर.बी. एक्ट के अंतर्गत जिम्मेदार, फोन-0761-4109072, E mail-navbharatjabalpur@gmail.com पो.रजि.नं.201-04/2003 RNI Reg No.1537/57